

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत शिवपुरी (म.प्र.)

विषय:- वाहन किराये की दरें देने बावत्।

संदर्भ:- वेबसाइट/समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति।

उपरोक्त विषयानुसार संदर्भित से ज्ञात हुआ है कि जिला पंचायत कार्यालय शिवपुरी अन्तर्गत आयोजित होने वाले कार्यक्रम/शिविर/बैठक/कार्यशाला आदि के लिये निविदा आमंत्रित कि गई है आमंत्रित निविदा के लिये में निम्नानुसार वाहन किराये की दर (चालक सहित) अपनी दरें प्रस्तुत कर रहा हूँ -

वित्तीय निविदा फार्म

(रूपये में)

क्रं	किराये के वाहन का विवरण	वाहन मॉडल वर्ष	मासिक दर	दैनिक दर डीजल सहित (यदि यात्रा 300 K.M. से कम है)	दैनिक दर डीजल सहित (यदि यात्रा 300 K.M. से अधिक है)
1	टबेरा वाहन (कर सहित)				
2	जायलो वाहन (कर सहित)				
3	सफारी वाहन (कर सहित)				
4	बुलेरो वाहन (कर सहित)				
5	गामा (कर सहित)				
6	इण्डिका वाहन (कर सहित)				

वाहन किराये के लिये शर्त :-

1. वाहन का मॉडल 3 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये।
2. यह कि वाहन की प्रति लीटर डीजल की औसत खपत के 10 कि.मी. से कम नहीं होगी इससे कम औसत होने पर पक्षकार क्र. 01 पर क्षतिपूर्ति की जबाबदारी रहेगी। सरल क्रं 06 के वाहन के लिए डीजल व्यय 15 कि.मी./लीटर न्यूनतम रहेगा।
3. किराये की अवधि में डीजल को छोड़कर वाहन के संधारण होने वाली टूट-फूट बैटरी, टायर एवं ट्यूब आदि के व्यय की सम्पूर्ण जिम्मेदारी पक्षकार क्र. 01 की होगी।
4. यात्रा के दौरान दुर्गम स्थान में भी वाहन जायेगा। वाहन के चालक का यह कर्तव्य होगा कि उपयोगकर्ता अधिकारी के आदेश का पालन करना अनिवार्य होगा।

